बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या– 15459/2014 में दिनांक–22.06.2015 कों पारित आदेश के आलोक में नियोजित प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में एतद द्वारा निम्नांकित आदेश दिया जाता है:–

1. किसी भी कोटि के नियोजित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष जिसने जाली एवं धोखाधडी (Forged and fabricated) शैक्षणिक एंव प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पायी है, यदि स्वेच्छा से दिनांक– 09.07.2015 के भीतर त्याग पत्र देते हैं तो एक बार क्षमादान (General amnesty) के अन्तर्गत उन्हें माफी दी जायेगी। उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा एवं वेतनादि की वसूली भी नहीं की जाएगी।
2. जो नियेाजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष जाली एवं धोखाधड़ी से प्राप्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए हैं एवं दिनांक– 09.07.2015 के भीतर त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा एवं वेतनादि में ली गई पूरी राशि की वसूली उनसे किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में सभी प्रकार की नौकरी के लिए उन्हें स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा।
3. नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव को निर्देश है कि स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले कर्मी का त्याग पत्र उसी दिन स्वीकृत करते हुए इसकी सूचना अगले दिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), को अनिवार्यतः प्राप्त करायेंगे।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी उपर्युक्त सूचना जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं सभी विद्यालयों के सूचना पट्ट पर दो दिन के भीतर प्रदर्श कराने की व्यवस्था अनिवार्यतः करेंगे।

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।